रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/ PHALGUNA 7, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 151(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जी) एवं धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 दिनांक 29 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/आरबी-2015) (जिसे इसके पश्चात "मूल विनियमावली" कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 8 में संशोधन

(i) विनियम 8 के मौजूदा उप-विनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में रुपए 100/- मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते

कि भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के रुपए 200/- और/अथवा रुपए 500/- मूल्यवर्ग के करेंसी नोट रुपए 25000/- तक की सीमा में अपने साथ ले जा सकता है;

[सं. फेमा 6(आर)/(1)/2019-आर बी]

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 के सा.का.नि. सं.1004(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2019

Foreign Exchange Management (Export and import of Currency) (Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and import of Currency) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 6(R)/RB-2015 dated December 29,2015) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:—

1. Short Title & Commencement:—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and import of Currency) (Amendment) Regulations, 2019

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 8

(i) The existing sub-Regulation (1) of Regulation 8 shall be substituted with the following, namely:—

(1) take or send out of India to Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100 in either case), provided that an individual travelling from India to Nepal or Bhutan can carry Reserve Bank of India notes of Mahatma Gandhi (new) Series of denominations Rs. 200/- and/or Rs. 500/- up to a total limit of Rs. 25,000;

[No. FEMA 6(R)/(1)/2019-RB]

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 1004(E) dated December 29, 2015 in Part II, Section 3, sub-Section (i).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.26 22:41:24 +05'30'